International Journal of Educational Research and Development
www.allinnovationjournal.com
Online ISSN: 2664-7095, Print ISSN: 2664-7087
Received: 07-09-2025, Accepted: 07-10-2025, Published: 22-10-2025
Volume 7, Issue 4, 2025, Page No. 20-22

"सतना कृषि उपज मण्डी में कृषकों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

डॉ. पी के सनसे[1], प्रिया प्रजापति[2]

[1] निर्देशक, प्राध्यापक, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

[2] शोधार्थी, प्राध्यापक, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

सारश

यह शोधपत्र सतना जिले की कृषि उपज मण्डी में कृषकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मण्डी व्यवस्था की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझना, किसानों को विपणन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान करना तथा उन समस्याओं के संभावित समाधान सुझाना है। इसके लिए सतना जिले की प्रमुख कृषि उपज मण्डी से 128 कृषकों को यादृच्छिक नमूना (Random Sampling) के आधार पर चयनित किया गया। डेटा संग्रहण हेतु प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया, जबकि द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों, मण्डी बोर्ड के प्रकाशनों और पूर्ववर्ती शोधों से लिए गए।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश किसान मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी, भुगतान में देरी, बिचौलियों की अधिकता, परिवहन एवं भंडारण सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लगभग 79% किसानों ने मूल्य अस्थिरता को सबसे बड़ी समस्या बताया, जबकि 68% ने भुगतान में देरी को प्रमुख अवरोध माना। छोटे और मध्यम कृषक वर्ग इन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित पाए गए। इसके अतिरिक्त, तकनीकी जानकारी के अभाव और ई–नाम जैसी डिजिटल प्रणालियों के सीमित प्रयोग के कारण भी किसान आधुनिक विपणन व्यवस्था से वंचित हैं।

शोध के निष्कर्षों के अनुसार, यदि मण्डी प्रणाली में पारदर्शिता, डिजिटल तकनीक, प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली (Direct Payment System) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, तो किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है। सतना कृषि उपज मण्डी की यह स्थिति भारत की अन्य पारंपरिक मण्डियों का भी प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ सुधार की व्यापक आवश्यकता है। अतः यह अध्ययन न केवल स्थानीय समस्याओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, बल्कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों की दिशा भी इंगित करता है।

मूल शब्द: कृषि उपज मण्डी, मूल्य निर्धारण, बिचौलिये, विपणन व्यवस्था, सतना जिला

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषि उपज मण्डियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सतना जिला, मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहाँ धान, गेहूँ, चना, मसूर, तिलहन आदि प्रमुख फसलें उत्पादित होती हैं। इन उपजों का विपणन मुख्यतः कृषि उपज मण्डी के माध्यम से किया जाता है। फिर भी, कृषक अनेक समस्याओं जैसे—मूल्य अस्थिरता, बिचौलियों की भूमिका, मण्डी शुल्क, परिवहन कठिनाई, और भुगतान में देरी से जूझते हैं।

कृषकों की समस्याओं की व्याख्या

सतना कृषि उपज मण्डी में कृषकों को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे मुख्यतः मूल्य निर्धारण, भुगतान, बिचौलियों की मध्यस्थता, परिवहन व्यवस्था, भंडारण सुविधा और तकनीकी जानकारी के अभाव से संबंधित हैं। अध्ययन में शामिल 128 कृषकों में से अधिकांश ने यह स्वीकार किया कि मण्डी में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। व्यापारी और बिचौलिए मिलकर बोली प्रक्रिया को नियंत्रित कर लेते हैं, जिसके कारण किसान को अपने उत्पाद का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। किसानों को यह भी शिकायत है कि उत्पाद बेचने के बाद भुगतान तत्काल नहीं मिलता; कई बार भुगतान एक से दो सप्ताह तक विलंब से किया जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, मण्डी परिसर में बिचौलियों की भूमिका अत्यधिक प्रभावी है। वे किसानों और खरीदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं तथा अनावश्यक कमीशन वसूलते हैं। इससे किसान का लाभांश घट जाता है और उसे लागत से भी कम मूल्य प्राप्त होता है। परिवहन और ढुलाई की समस्या भी गंभीर रूप में सामने आई है कृ ग्रामीण क्षेत्रों से मण्डी तक पहुँचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, जिससे कृषकों को निजी वाहनों या ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ता है, जो उनके लिए महंगा साबित होता है।

भंडारण की सुविधा की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। अधिकांश किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज या गोदाम जैसी संरचनाएँ सीमित हैं। परिणामस्वरूप उन्हें मजबूरीवश अपनी फसल कम मूल्य पर तुरंत बेचनी पड़ती है। इसके अलावा, मण्डी में उपलब्ध तकनीकी सेवाओं, जैसे ई–नाम प्लेटफॉर्म या डिजिटल मूल्य प्रदर्शन बोर्ड, का उपयोग बहुत सीमित है। तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण किसान नई विपणन प्रणालियों से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

कई किसानों ने यह भी बताया कि मण्डी परिसर में स्वच्छता, पेयजल, विश्राम गृह और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे उन्हें लंबे समय तक असुविधा झेलनी पड़ती है। कुछ किसानों ने यह भी उल्लेख किया कि मण्डी कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं होता तथा प्रक्रियाएँ अत्यधिक जटिल हैं। इन सभी कारणों से कृषक मण्डी प्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं और उन्हें लगता है कि वर्तमान व्यवस्था किसानों की बजाय व्यापारियों के हित में अधिक कार्य कर रही है।

समग्रतः यह कहा जा सकता है कि सतना कृषि उपज मण्डी में किसानों की समस्याएँ केवल आर्थिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक

और नीतिगत स्तर पर भी हैं। पारदर्शिता की कमी, तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता और संस्थागत कमजोरियाँ कृषकों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान प्रशासनिक सुधारों, तकनीकी सशक्तिकरण और किसान संगठनात्मक भागीदारी के माध्यम से किया जाए, तो कृषि विपणन प्रणाली अधिक न्यायसंगत और प्रभावी बन सकती है।

इस शोध का उद्देश्य इन्हीं समस्याओं का विश्लेषण करना और सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं उद्देश्य

अध्ययन की आवश्यकता

हाल के वर्षों में सतना की कृषि उपज मण्डियों में किसानों की शिकायतों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी, मण्डी संचालन में दलालों की सक्रियता तथा तकनीकी संसाधनों के अभाव के कारण कृषक अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कृषकों को मण्डी में आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करना।
2. समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में सतना कृषि उपज मण्डी में कृषकों की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति अपनाई गई। अनुसंधान का उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर यह समझना था कि मण्डी व्यवस्था में किसानों को कौन–कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं और उन कठिनाइयों के पीछे कौन–से सामाजिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक कारक कार्यरत हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया।

अध्ययन क्षेत्र के रूप में सतना जिले की मुख्य कृषि उपज मण्डी का चयन किया गया, क्योंकि यह मण्डी जिले की सबसे सक्रिय विपणन इकाइयों में से एक है और यहाँ विभिन्न विकासखंडों के किसान अपनी उपज विक्रय हेतु लाते हैं। कुल 128 कृषकों को यादृच्छिक नमूना चयन विधि के माध्यम से अध्ययन के लिए चुना गया ताकि परिणाम वस्तुनिष्ठ और प्रतिनिधिक हों। चयनित कृषकों में छोटे, मध्यम और बड़े तीनों प्रकार के कृषकों को सम्मिलित किया गया, जिससे विभिन्न आर्थिक वर्गों के किसानों की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

डेटा संग्रहण के लिए प्रश्नावली और साक्षात्कार दोनों तकनीकों का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली में खुले एवं बंद दोनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए गए थे, जो मूल्य निर्धारण, भंडारण, परिवहन, भुगतान प्रणाली, मण्डी शुल्क, और तकनीकी जानकारी जैसे बिंदुओं पर केंद्रित थे। किसानों से सीधे साक्षात्कार कर उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया गया, ताकि मात्रात्मक आँकड़ों के साथ–साथ गुणात्मक अंतर्दृष्टियाँ भी प्राप्त की जा सकें। द्वितीयक आँकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मण्डी बोर्ड (MPSAMB) की वार्षिक रिपोर्टों, कृषि विभाग के आँकड़ों, पूर्व प्रकाशित शोधपत्रों और समाचार लेखों से संकलित किए गए। इन आँकड़ों से क्षेत्रीय कृषि विपणन की व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की गई।

संकलित आँकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों — जैसे प्रतिशत विश्लेषण, तथा तालिकीय प्रस्तुति के माध्यम से किया गया। समस्याओं की आवृत्ति और उनके प्रभाव की तीव्रता का आकलन इन विधियों से किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं विवेचना

तालिका 1: जनसांख्यिकी चर

चर (Variable)	श्रेणी (Category)	आवृत्ति (f)	प्रतिशत (%)
आयु	30 वर्ष से कम	22	17.19
	30–50 वर्ष	63	49.22
	50 वर्ष से अधिक	43	33.59
कुल		128	100.00
शिक्षा स्तर	अशिक्षित	19	14.84
	प्राथमिक	31	24.22
	माध्यमिक	48	37.50
	उच्च माध्यमिक एवं उससे अधिक	30	23.44
कुल		128	100.00
भूमि का आकार	लघु किसान (1–2 हेक्टर)	54	42.19
	मध्यम किसान (2–5 हेक्टर)	47	36.72
	बड़े किसान (5 हेक्टर से अधिक)	27	21.09
कुल		128	100.00
कृषि अनुभव	5 वर्ष से कम	18	14.06
	5–15 वर्ष	55	42.97
	15 वर्ष से अधिक	55	42.97
कुल		128	100.00

स्रोत– प्राथमिक समंक विश्लेषण

सतना कृषि उपज मण्डी के 128 कृषकों की जनसांख्यिकी संरचना से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में अधिकांश किसान मध्यम आयु वर्ग (30 से 50 वर्ष) के हैं, जिनकी संख्या कुल का लगभग 49.22% है। यह समूह प्रायः निर्णय लेने की सक्रिय अवस्था में होता है और कृषि संबंधी सुधारों या विपणन प्रक्रियाओं में सीधे भागीदारी रखता है। लगभग 33.59% किसान 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो परंपरागत कृषि विधियों से जुड़े हुए हैं, जबकि 17.19% किसान युवा वर्ग से हैं जो नई तकनीकों के प्रति अधिक उत्सुक पाए गए।

शिक्षा के स्तर के संदर्भ में, 37.50% किसान माध्यमिक शिक्षित हैं, जबकि केवल 23.44% ही उच्च माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि मण्डी व्यवस्था और मूल्य प्रणाली को समझने में शिक्षा का स्तर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सीमित शिक्षा किसानों की जागरूकता को प्रभावित कर सकती है।

भूमि आकार के अनुसार अधिकांश कृषक लघु किसान (42.19%) हैं, जो 1–2 हेक्टर भूमि पर खेती करते हैं। मध्यम वर्ग के किसान 36.72% तथा बड़े किसान 21.09% पाए गए। यह स्थिति बताती है कि सतना जिले में कृषकों की आर्थिक संरचना छोटे एवं मध्यम जोत पर आधारित है, जिससे उत्पादन लागत और बाजार जोखिम दोनों अधिक हैं।

अनुभव की दृष्टि से, लगभग 43% किसान 15 वर्ष से अधिक अनुभव वाले हैं, जबकि उतने ही प्रतिशत किसान 5–15 वर्ष के अनुभव वाले हैं। यह दर्शाता है कि सतना क्षेत्र के अधिकांश किसान पारंपरिक कृषि पद्धतियों से परिचित हैं और कृषि को दीर्घकालिक व्यवसाय के रूप में अपनाए हुए हैं। केवल 14.06% किसान नए (5 वर्ष से कम अनुभव वाले) हैं, जो आधुनिक तकनीकों और विपणन सुधारों को अपनाने के प्रति अधिक उत्साहित दिखाई दिए।

सारांशतः सतना कृषि उपज मण्डी के कृषकों की जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ किसान वर्ग परंपरा और परिवर्तन दोनों के संगम पर खड़ा है — एक ओर अनुभवी और पारंपरिक किसान हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं का एक वर्ग नई तकनीक और ई–नाम जैसी प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। इस सामाजिक संरचना को समझे बिना मण्डी सुधार या किसानों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

तालिका 2: समस्याओं के प्रकार

समस्याओं के प्रकार	प्रभावित कृषकों की संख्या	प्रतिशत (%)
मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी	102	79.68%
भुगतान में देरी	88	68.75%
बिचौलियों का हस्तक्षेप	94	73.43%
परिवहन व ढुलाई की कठिनाई	72	56.25%
भंडारण सुविधा का अभाव	65	50.78%
मण्डी शुल्क की जटिल प्रक्रिया	58	45.31%
तकनीकी जानकारी का अभाव	40	31.25%

स्रोत– प्राथमिक समंक विश्लेषण

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश कृषक मूल्य निर्धारण की अपारदर्शी व्यवस्था और बिचौलियों के नियंत्रण से सर्वाधिक प्रभावित हैं। भुगतान में विलंब भी किसानों की आर्थिक कठिनाई को बढ़ाता है। भंडारण एवं परिवहन सुविधाओं का अभाव किसानों को अपनी उपज को तत्काल बेचने के लिए बाध्य करता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मूल्य ही प्राप्त हो पाता है।

सुझाव

1. मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को ई–नाम (e–NAM) जैसी पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाए।
2. किसानों के लिए भुगतान का सीधा हस्तांतरण (Direct Payment Transfer) सुनिश्चित किया जाए।
3. भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
4. बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) को सशक्त किया जाए।
5. मण्डी में डिजिटल सूचना पट्ट एवं हेल्पडेस्क की स्थापना की जाए।

उपसंहार

संपूर्ण अध्ययन से यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि सतना कृषि उपज मण्डी में कृषकों की समस्याएँ केवल आर्थिक या व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि वे संरचनात्मक और संस्थागत स्तर पर गहराई से जुड़ी हुई हैं। मूल्य निर्धारण की अपारदर्शिता, भुगतान में विलंब, बिचौलियों का प्रभुत्व, भंडारण सुविधाओं की कमी, तथा तकनीकी संसाधनों के अभाव जैसी समस्याएँ किसानों की आय और आत्मनिर्भरता दोनों को प्रभावित कर रही हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश किसान मण्डी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि वर्तमान व्यवस्था व्यापारियों के हित में अधिक कार्य कर रही है, न कि कृषकों के।

अध्ययन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की शिक्षा, भूमि का आकार और अनुभव जैसे जनसांख्यिकी कारक उनकी समस्याओं की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के किसान मूल्य अस्थिरता और तत्काल भुगतान न मिलने से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जबकि बड़े किसान भंडारण और परिवहन व्यय को लेकर अधिक चिंतित हैं। मण्डी में पारदर्शिता की कमी के कारण किसान अपनी उपज का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिससे कृषि व्यवसाय की स्थिरता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि मण्डी व्यवस्था को पारंपरिक ढाँचे से बाहर निकालकर आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाए। ई–नाम (e-NAM) जैसी डिजिटल प्रणाली को व्यापक रूप से लागू किया जाए ताकि मूल्य निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया निष्पक्ष और तत्पर हो सके। किसानों के लिए भंडारण सुविधाएँ, परिवहन व्यवस्था, और सूचना प्रसार केंद्रों की स्थापना से विपणन क्षमता में वृद्धि संभव है। साथ ही, किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी बिचौलियों की निर्भरता को घटा सकती है।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि सतना कृषि उपज मण्डी में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी सशक्तिकरण और किसान शिक्षा तीनों की आवश्यकता है। जब तक किसान विपणन प्रणाली का सक्रिय भागीदार नहीं बनता, तब तक कृषि से उसकी आय में वास्तविक वृद्धि संभव नहीं है। यह शोध न केवल किसानों की समस्याओं को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि यदि नीति स्तर पर पारदर्शिता, जागरूकता और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी जाए, तो सतना ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में कृषि विपणन का स्वरूप अधिक न्यायसंगत, लाभकारी और आत्मनिर्भर बन सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. Government of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board Annual Report. Bhopal**:** MPSAMB, 2023.
2. Singh R K. Agricultural Marketing and Farmer's Issues in India- New Delhi**:** Concept Publishing, 2022.
3. Sharma P. 'Role of Mandis in Indian Agricultural Market**:** A Case Study of Madhya Pradesh' Indian Journal of Agricultural Economics, 2021:76(2):145-156.
4. National Sample Survey Office (NSSO). Situation Assessment Survey of Agricultural Households. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, 2020.
5. Gupta M, Tiwari A. 'Farmer's Problems in Agricultural Markets**:** A Study of Satna District' Journal of Rural Development Studies, 2024:40(1):89–102.